प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 24 सितम्बर, 2020**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्लास्टिक क्रेट्स एवं सब्जी मिनीकिट की व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने सं0-37/बजट/आई0टी0सेल/2020-21, दिनांक 25.08.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं यथा- एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास एवं अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत डी.बी.टी. के माध्यम से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में व्यवस्था लागू है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्लास्टिक क्रेट्स एवं सब्जी मिनीकिट के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था की जाती है-

1. <u>प्लास्टिक क्रेट्स की व्यवस्थाः-</u>

''प्लास्टिक क्रेट्स बी0आई0एस0 मानक सं0-IS15532:2004 प्रमाण-पत्र प्राप्त हो अथवा सम्बन्धित प्लास्टिक क्रेट्स निर्माता फर्म द्वारा प्लास्टिक क्रेट्स का परीक्षण वर्ष-2020 में CIPET द्वारा कराया गया हो तथा परीक्षण रिपोर्ट जो CIPET के सभी निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण पायी गयी हो। ऐसे सम्बन्धित प्लास्टिक क्रेट्स निर्माता फर्म/कम्पनियों अथवा उनके डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर द्वारा बी0आई0एस0 मानक सं0- IS15532:2004 प्रमाण-पत्र की प्रति अथवा CIPET की परीक्षण रिपोर्ट की प्रति पंजीकृत/चयनित लाभार्थी कृषकों को प्लास्टिक क्रेट्स विक्रय का जी.एस.टी. बिल/रसीद के साथ उपलब्ध करानी होगी। पंजीकृत/चयनित लाभार्थी कृषकों द्वारा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी को प्लास्टिक क्रेट्स क्रय की जी.एस.टी. बिल/रसीद बी.आई.एस. प्रमाण-पत्र अथवा CIPET की परीक्षण रिपोर्ट सहित उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त लाभार्थी कृषक से भुगतान का विकल्प प्राप्त कर निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

1. कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर कार्य पूर्ण करने पर अनुदान सहायता सम्बन्धित हितग्राही के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

अथवा

2. कृषक द्वारा बैंक के माध्यम से ऋण लेकर कार्य पूर्ण करने पर सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में अनुदान भुगतान किया जा सकेगा।''

2. <u>सब्जी मिनीकिटः-</u>

सब्जी मिनीकिट की व्यवस्था गुणवत्ता की सुनिश्चिता हेतु सीधे जनपदीय उद्यान अधिकारियों द्वारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, उ0प्र0 बीज विकास निगम, नेशनल सीड कारपोरेशन, एन.एच.आर.डी.एफ., यू.पी. एग्रो, नैफेड आदि राजकीय संस्थाओं से क्रय कर चयनित लाभार्थी कृषकों को अनुमन्य सीमा तक उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में रोपण सामग्री एवं अन्य कृषि निवेशों पर देय अनुदान प्रदेश के पंजीकृत/चयनित कृषकों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे भुगतान किये जाने/उपलब्ध कराने सम्बन्धी शासनादेश सं0-39/2018-1419/58-2018-118/2016, दिनांक 26.06.2018 एवं शासनादेश सं0-24/2019-1017/58-2019-118/2016, दिनांक 04.06.2019 के शेष बिन्दु यथावत् हैं। उपरोक्तानुसार योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 47/2020-1408(1)/58-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उद्यान विभाग, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in